8. इलेक्ट्रोलिटों सहित अतिसार-रोधी औषधों की निश्चित खुराक के सम्मिश्रण ।

9. विटामिन "सी" सहित किसी अन्य रेट्रासाइक्लिनों की निश्चित खुराक वाले सम्मिश्रण।

10. पिपराजाइन/सटोनिन को छोड़कर के थार्टोक्लपर्गेटिव सहित किसी एथेल्मिन्टिक की निश्चित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

11. पेंटेंट व प्रोप्राइटरि मुखीय पुनर्जलपूर्ण लवण ।

12. किसी अन्य औषध के साथ आक्सीफेनबूटाजोन अथवा फिनिलबूटाजोन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

13. एंटी स्पेगमाडिक्स को छोड़कर किसी अन्य औषध के साथ एनेल्जिन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

14. एंटी स्पेसमाडिक्स और/अथवा नान स्टेराइडल, प्रदाहक रोधी औषधों (नसेड्स) को छोड़कर किसी अन्य औषध के साथ डेक्सट्रोप्रोपोक्सीफेन के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

15. किसी औषध का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण जिसके मानक किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध अथवा यूनानी औषध के साथ उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची मे निर्धारित किए गए है ।

16. बाह्य उपयोग के सम्पादकों के सिवाय किसी अन्य औषध के साथ औषधों के हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन समूह के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

17. पेन्सिलिनों के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

मानसिक चिकित्सालयों में रोगी

2539. **श्री दिग्विजय सिंह जुदेव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-7-1997 की स्थिति के अनुसार देश के मानसिक रोग चिकित्सालयों में चिकित्सालय-वार कितने रोगी भरती है ;

(ख) वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक एवं 31 जनवरी, 1997 तक चिकित्सालय-वार कितने मरीजों की मृत्यु हुई ;

(ग) इनमें से चिकित्सालय-वार कितने मरीजों को स्वस्थ हो जाने के बावजूद उनके परिजनों द्वारा अपने घर में जाने से इन्कार कर दिया गया है ; और

(घ) सरकार द्वारा स्वस्थ हो चुके परन्तु परिजनों द्वारा परित्यक्त मरीजों की पुनर्वास संबंधी योजनाओं एवं किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) वर्ष 1991 और 1992 मे विशिष्ट मानसिक अस्पतालों में दाखिल किए गए अस्पतालों से छुट्टी किए गए और मृत मानसिक रोगियों का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट 181, अनुबंध संख्या 67] । वर्ष 1993 और उसके आगे के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो विशिष्ट संस्थाएं है । ये है—राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और

तात्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर और केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची ।	इन दो संस्थाओं में मानसिक रूप से बीमार रोगियों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

		रा. मा. स्वा. एवं के. म. सं. सं. वि. संस्थान	
1.	24-7-97 की स्थिति के अनुसार दाखिल रोगियों की संख्या	537	412
2.	मौतें 1991-92	11	10
	1992-93	20	11
	1993-94	9	6
	1994-95	10	13
	1995-96	18	10
	1996-97	13	7
	1997 (अप्रैल/जुलाई)	5	2
3	स्वास्थ्य हो गए जिन्हें उनके परिजनों द्वारा नहीं स्वीकार किया गया ।	7	150 (लगभग)

इन दो विशिष्ट संस्थाओं में व्यावसायिक चिकित्सा व्यावसायिक निदेशन और प्रशिक्षण के माध्यम से मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए पृथक पुनर्वास विभाग हैं ।

Cultivation of Medicinal Plants

2540. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there is a great demand in the world for medicinal plants from India;

(b) if so, whether any steps have been taken to promote commercial cultivation of such plants; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Schemes are being implemented for development and cultivation of these plants through various Government/Semi-Government Organisations and also for development of agro-techniques for their cultivation. This will help in taking up commercial cultivation of medicinal plants.

सी॰सी॰आई॰एम॰ द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक/यूनानी सिद्ध महाविद्यालय

2541. श्री मल्लयन्न योगा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सी॰ सी॰ आई॰ एम॰ द्वारा देश में मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक/यूनानी/